



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र  
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 27, बुधवार, शाके 1938-अक्टूबर 19, 2016  
Asvina 27, Wednesday, Saka 1938-October 19, 2016

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग

(अनुभाग-1)

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 10, 2016

संख्या प.13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 :- राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2011 (2011 का अधिनियम संख्यांक 23) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग की अधिसूचना संख्या प. 13(1)प्र.सु./सम./अनु.-1/2008 दिनांक 5 अक्टूबर, 2011, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना की सारणी के कॉलम संख्या 1 के विद्यमान क्रम संख्यांक 18 व उसकी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्न नया क्रम संख्यांक 19 एवं उसकी प्रविष्टियां जोड़ी जावेगी, अर्थात्:-

19. राज्य बीमा एवं पालघायी निधि विभाग	114	बीमा ऋण	10 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	-
	115	बीमा स्वत्व	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	116	बीमा पॉलिसी जारी करना	प्रथम कटौती के 2 माह	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	117	जीपीएफ पासबुक एवं बीमा रेकार्ड बुक का सत्यापन	7 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	118	जीपीएफ अंतिम आहरण	15 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	119	जीपीएफ स्वत्व	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	120	बीमा / जीपीएफ खाता स्थानान्तरण	30 दिवस (मुख्यालय एवं संभागीय स्तर पर प्रति माह क्लोरिंग हाउस का आयोजन किया जाता है।)	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा / पर्यवेक्षक, जीपीएफ	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	121	अधिक जोखिम वहन करना	कटौती के दो माह में	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	122	साधारण बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	123	विद्यार्थी दुर्घटना बीमा योजना दावा	15 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	124	समूह दुर्घटना बीमा योजना दावा	21 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, साधारण बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	125	मैट्रिकलेम	30 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, बीमा	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	
	126	प्राण जारी करना	20 दिवस	सहायक / उप / संयुक्त निदेशक	पर्यवेक्षक, एनपीएस	वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक / अतिरिक्त निदेशक (संभागीय अधिकारी)	निदेशक	

राज्यपाल के आदेश से,  
पवन कुमार गोयल  
प्रमुख शासन सचिव।